न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 15/2019

1 भानाराम पुत्र हनुमान सहाय।
2 श्यामसुन्दर पुत्र हनुमान सहाय।
3 चिमनलाल पुत्र हनुमान सहाय।
4 केशरसिंह पुत्र हनुमान सहाय।
5 रघुनाथ सिंह पुत्र हनुमान सहाय।
6 बसन्त कुमार पुत्र चन्द्राराम।
7 मंगलचन्द पुत्र चन्द्राराम।
8 महेन्द्र कुमार पुत्र चन्द्राराम समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 04 श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हंसराज पुत्र केदारनाथ।
2 पवन कुमार पुत्र केदारनाथ समस्त जाति महाजन निवासीगण श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल आबाद वार्ड नम्बर 2 सिंघाना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 उप पंजियक श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6 हरफूल सिंह पुत्र हनुमान सहाय।
7 प्रेमराज सिंह पुत्र हनुमान सहाय समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 4 श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 06.02.2019 मुकदमा
नम्बर 10/2015 बउनवानी भानाराम वगैरह बनाम
हंसराज वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहम्मद रफीक गौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 14.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 10/2015 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष एक वाद बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा एवं वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1078 तन ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता केदारनाथ के नाम गलत दर्ज चली आ रही है। इस भूमि के पुराने खसरा नम्बर 866 जिस पर वादीगण के बुर्जुगान पितागण कमशः हनुमान सहाय व चन्द्राराम काफी समय पूर्व से ही काबिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

काश्त चले आ रहे है। केदारनाथ का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा। किशोरीलाल व केदारनाथ दोनो सगे भाई थे जिनमें किशोरीलाल काफी समय पूर्व ही नाऔलाद फौत हो गये तथा उनकी विधवा पत्नी कमला देवी ही उनकी एकमात्र वारिस थी जिसका देहान्त हो गया तथा कमला देवी ने वर्ष 1985 में प्रार्थीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त मानते हुए 10 रूपये के स्टाम्प पर लिखावट लिखकर दी थी। इसलिए वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व अप्रार्थीगण को प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वो राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाने, विक्रय, रहन करने से बाज रहे। जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.02.2015 को भूमि खसरा नम्बर 1708 रकबा 2.17 हैक्टेयर वाके ग्राम श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए उभयपक्षकारान को पाबन्द किया तथा पत्रावली अन्य कार्यवाही में चलती रही एवं दिनांक 24.01.2018 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णयानुसार वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट हेतु भू अभिलेख निरीक्षक श्रीमाधोपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। आगामी पेशी दिनांक 06.02.2019 नियत की तथा दिनांक 04.02.2019 को मौके की रिपोर्ट करने का आदेश दिया। परन्तु दिनांक 04.02.2019 को पक्षकारो की गैर हाजिर में तैयार रिपोर्ट का प्रार्थीगण ने नियत पेशी दिनांक 06.02.2019 को ऐतराज किया। परन्तु दिनांक 06.02.2019 को विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को मृतक केदारनाथ पुत्र रामप्रसाद की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने की अनुमति प्रदान की। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.01.2019 जिसकी प्रति अपीलांट दिनांक 24.01.2019 को प्राप्त हुई के बाबत विरासत का नामान्तकरण करवाने की अनुमती दिये जाने का अपीलांट को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जवाब दिये जाने का कोई अवसर ही नही दिया जबकि दिनांक 06.02.2019 को अपीलांट के अधिवक्ता ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट का एतराज एवं दिनांक 03.01.2019,24.01.2019 के प्रार्थना पत्र का जवाब हेतु समय चाहने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आदेश पारित करके गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अत विचाराधीन आदेश अपास्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2015 से विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन पत्रावली पर निरन्तर जारी है। दौराने सुनवाई केदारनाथ पुत्र रामप्रसाद महाजन की फौतगी पर विचाराधीन आदेश से विरासत का नामान्तकरण खोलने की अनुमती प्रदान की गई है। इस आदेश में यह स्पष्ट अंकित है कि नामान्तकरण के पश्चात मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की शर्त के साथ अनुमती दी जाती है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि नामान्तकरण की प्रकिया फिसकल प्रोसिंडिग है। इससे प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ता है। पक्षकारों के मध्य लम्बित 212 के आवेदन का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय में होना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अपीलांट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2015 से विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन पत्रावली पर निरन्तर जारी है। दौराने सुनवाई केदारनाथ पुत्र रामप्रसाद महाजन की फौतगी पर विचाराधीन आदेश से विरासत का नामान्तकरण खोलने की अनुमती प्रदान की गई है। इस आदेश में यह स्पष्ट अंकित है कि नामान्तकरण के पश्चात मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की शर्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के साथ अनुमती दी जाती है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि नामान्तकरण की प्रकिया फिसकल प्रोसिंडिग है। इससे प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ता है। पक्षकारों के मध्य लम्बित 212 के आवेदन का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय में होना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अपीलांट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर